बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 29.06.2017 को विकास भवन सभागार में दोपहर 12.00 बजे जिला स्तरीय समिति गाजियाबाद की प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

बैठक में प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसल ऋण माफी योजना की चर्चा की गयी। जिसमें ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों को जिनके द्वारा फसल ऋण दिनांक 31 मार्च 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो, राज्य सरकार एक लाख रूपये तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करेगी। ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजन हेतु दिनांक 31 मार्च 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धनराशि या नई स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि (दिनांक 31 मार्च 2016 के पश्चात और दिनांक 31 मार्च 2017 तक) में किसानों से प्राप्त प्रति भुगतान को घटा दिया जायेगा। किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हैक्टेअर व सीमान्त किसानों हेतु 01 हैक्टेअर से अधिक न होगा। केवल फसल उगाने हेतु बीज एवं उर्वरक पर लिया गया ऋण ही माफ होगा।

1–बैठक में निर्देशित किया गया कि ऋण माफी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा प्रत्येक बैंक शाखा एवं ए0टी0एम0 बूथ पर बैंकों द्वारा बैनर लगवाये जायें तथा जनपद के जिन बैंक समन्वयकों द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया है वे जिला समन्वयक भविष्य में अनिवार्य रूप से जिला समिति की बैंठक में प्रतिभाग करें। जिस बैंक शाखा से कृषकों द्वारा फसल ऋण लिया गया है वह शाखा प्रबन्धक सभी खातों को 10 दिन के अन्दर आधार से लिंक करें। ताकि समय से कृषकों को ऋण माफी योजना का लाभ मिल सके।

कार्यवाही– अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक, गाजियाबाद

2–जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक गाजियाबाद को निर्देश दिये गये कि समस्त जिला स्तरीय समिति के सदस्यों एवं समस्त जिला बैंक समन्वयकों को एक व्हाटस एप ग्रुप बनाकर ग्रुप में एड किया जाये एवं प्रतिदिन किस बैंक शाखा में कितने खाते आधार से लिंक किये गये हैं तथा अन्य फसल ऋण मोचन योजना से संबन्धित सूचनायें ग्रुप में डालकर एक दूसरे को सूचित किया जाये। जिसकी मानिटरिंग जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक द्वारा प्रतिदिन की जाये।

कार्यवाही– अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक, गाजियाबाद

3– जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि दो दिन के अन्दर ऋण मोचन योजना के शासनादेश की प्रति प्रत्येक बैंक शाखा को उपलब्ध करा दे तथा दो दिन के अन्दर समस्त बैंक शाखा प्रबन्धक अपने बैंक में कितने पात्र लघु एवं सीमान्त कृषक हैं उसका विवरण तैयार कर जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक गाजियाबाद के माध्यम से कृषि विभाग की ई–मेल आई डी DAOGZB@gmail.com पर उपलब्ध करा दें।

कार्यवाही– अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक, गाजियाबाद

4–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) को निदेर्शित किया गया कि वे योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजन से विविध हितधारकों को पहुँच प्रदान करने के लिये एक वेब पोर्टल (WWW.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in) अभिकल्पित एवं विकसित करें।

कार्यवाही– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0)

5–अन्त में निर्देशित किया गया कि कृषि विभाग के प्रावैधिक सहायक सी तथा अन्य विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा जनसंपर्क कर फसल ऋण मोचन योजना के बारे में कृषकों को जानकारी दी जाये। समुचित जागरूकता अभियान के आयोजन के लिये जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय स्थापित किया जाये तथा कृषकों की शिकायतों के निवारण हेतु अनुश्रवण किया जाये।

कार्यवाही–जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद

(रमेश रंजन)
मुख्य विकास अधिकारी
गाजियाबाद

पत्रांक/ 193 /फसल ऋण मोचन योजना/2017–18/दिनांक 30/06/2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद गाजियाबाद
2–जिला गन्ना अधिकारी गाजियाबाद
3–जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद
4–जिला सहायक निबन्धक/उपायुक्त सहकारी समितियाँ गाजियाबाद
5–जिला उद्यान अधिकारी गाजियाबाद
6–उप कृषि निदेशक, गाजियाबाद
7–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी गाजियाबाद
8–सहायक प्रबन्धक ओरियन्टल इन्श्योरेंश कं0 रीजनल–2, 50 नवयुग मार्केट गाजियाबाद
9–फील्ड आफिसर एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्श कं0 ऑफ इण्डिया गाजियाबाद
10–महाप्रबन्धक सहकारी बैंक गाजियाबाद
11–एल0डी0एम0 सिन्डीकेट बैंक नवयुग मार्केट गाजियाबाद
12–डी0डी0एम0 नाबार्ड गाजियाबाद
13–जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद
14–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद
15–अपर जिलाधिकारी (भू/अ0) गाजियाबाद।
16–जिलाधिकारी महोदया गाजियाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी
गाजियाबाद

RAHUL/RAMBHAJAN/lettter